राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग

क्रमाक प 2(2)(46)का/क–3/शिका/04 जयपुर, दिनाक 3/6/19

आदेश

डॉ मदन मोहन अग्रवाल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयनगर, जिला श्रीगगानगर को सेशन प्रकरण सख्या 119/2013 (प्रथम सूचना रिपोर्ट 141/2004) मे माननीय सैशन न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगगानगर के निर्णय दिनाक 12.10.18 द्वारा इनके विरूद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी) (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 मे दोषसिद्ध करते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास व रूपये 25,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अत राज सिविल सेवाऐ (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए डॉ मदन मोहन अग्रवाल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयनगर, जिला श्रीगगानगर को एतद्द्वारा राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।

डॉ मदन मोहन अग्रवाल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयनगर, जिला श्रीगगानगर का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ, राज0 जयपुर के कार्यालय मे रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

(एस आर पिलानिया)
सयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि –

1 प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री, राजस्थान।
2 वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4 अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, राज जयपुर को डॉ मदन मोहन अग्रवाल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयनगर, जिला श्रीगगानगर के निलम्बन आदेश की प्रति सलग्न कर लेख है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश डॉ0 अग्रवाल को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद शीघ्र इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
5 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज जयपुर।
6 निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ, राज जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ मदन मोहन अग्रवाल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयनगर, जिला श्रीगगानगर को निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पजिका मे उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करे एव इसके अतिरिक्त उन्हे यह भी निर्देश देवे कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नही छोडे। इन्हे इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन के अवकाश पर रहते के बराबर उन्हे निलम्बन काल मे निर्वाह भत्ता एव ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होगे।
7 डॉ मदन मोहन अग्रवाल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयनगर, जिला श्रीगगानगर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐ, राज जयपुर के कार्यालय मे इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पजिका मे उपस्थिति अकित करे। उन्हे यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे निदेशक की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नही छोडे।
8 कार्मिक (क–1/गो प्र) विभाग
9 कोषाधिकारी, जयपुर।
10 रक्षित पत्रावली।

(एन एल राव)
सहायक शासन सचिव

मुख्य भवन, कमरा नॅ0 1241 शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार जयपुर–302005
दूरभाष नॅ0 0141–5153222 एक्सटेशन–21926 फैक्स नॅ0 0141–2227986

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमाक .– सीबी / सीएएस / एम–239 / 2019 / 373 दिनाक 4/6/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 सयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क–3 / शिका)विभाग, राज0 जयपुर को उनके आदेश क्रमांक प.2(2)(46)का / क–3 / शि / 04 दिनाक 03 06 19 के क्रम में।

2 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।

3 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जोन–बीकानेर।

4 मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगगानगर।

5. अधीक्षक, सवाईमानिसंह चिकित्सालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि डॉ0 मदन मोहन अग्रवाल, तत्काचि0अ0, सामु0स्वा0केन्द्र, विजयनगर (श्रीगगानगर) हाल आपके अधीन को उक्त निलम्बित आदेश दिनाक 03.06.19 को तामिल करवाकर तामिल रसीद भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही चिकित्सक को निर्देशित करे कि निदेशालय मे निलम्बित काल मे उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

6 आहरण एव वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

7 अति0 प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी / संस्थापन, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।

8 डॉ0 मदन मोहन अग्रवाल, चि0अ0, सवाईमानसिह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा उनके नियत्रण अधिकारी।

9 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को सबधित अधिकारियों की ई–मेल आईडी एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करे।

10 आदेश / रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।